68

संख्या– — /XXXVI(1)/2013–582/2001

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाप्रशासक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 5 मार्च 2013

विषय– महाप्रशासक कार्यालय हेतु सृजित 08 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–46/XXXVI(1)/2012–582/2001 दिनांक 01–03–2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, महाप्रशासक कार्यालय हेतु सृजित 08 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये दिनांक 01–03–2013 से दिनांक 28–02–2014 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त पदों का सृजन मूल रूप में शासनादेश संख्या–15–एक(1)/न्याय विभाग/03 दिनांक 14–02–2003 के द्वारा किया गया था।

2– उक्त कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगीं।

3– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–07–महाप्रशासक कार्यालय नैनीताल–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–1270/76–दस दिनांक 20 जुलाई 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07–11–1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

5– उक्त के साथ वित्त (वे0आ0–स0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–118(1)/XXVII(7)/2006 दिनांक 31–08–2006 की छायाप्रति इस अनुरोध के संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त पदों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित 09 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या सहित पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

D:\Bhagwan folder\vividh letter.doc

क्रमश.....2

संख्या– 75 (1)/XXXVI(1)/2013–582/2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा देहरादून।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव